खास-खबरें

एमवीएम में विद्यार्थियों के उत्पादों और व्यंजनों की प्रदर्शनी आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में विद्यार्थियों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने 9 सितंबर को एक दिवसीय उद्यमिता शिविर आयोजित होगा। दोपहर 12 से 3 बजे तक होने वाले शिविर में भोपाल जिले के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी स्वनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय करेंगे। इनमें हैंडीक्राफ्ट, क्रोशिया वर्क, जरी-जरदोजी, रेजिन आर्ट, वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे।

'मेरे माटी के गणेश' कार्यशाला 10 को

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा 10 सितंबर को 'मेरे माटी के गणेश' एक दिवसीय मिट्टी के गणेश निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगी और निशुल्क रहेगी। प्रतिभागी प्रशिक्षण के दौरान अपने हाथों से बनाई गणेश प्रतिमा घर ले जा सकेंगे। इच्छुक प्रतिभागी 9 सितंबर शाम 5 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं। कार्यालय में भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

मास्टरमाइंड और एआई से फर्जी दस्तावेज बनाने वाला आरोपित पहले ही जेल में

फर्जी आधार कार्ड से जमीन बेचकर 10 लाख की ठगी, दो महिलाएं गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सूखी सेवनिया पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमीन का सौदा कर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में फरार दो महिला आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में शामिल मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपितों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पांचों आरोपितों पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जमीन के वास्तविक मालिकों की पहचान का दुरुपयोग करने का आरोप है।

थाना प्रभारी अरुण शर्मा के अनुसार द्वारिका नगर निवासी आराधना परमार ने 25 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि ग्राम देवलखेड़ी स्थित जमीन के वास्तविक भू-स्वामियों के नाम पर फर्जी आधार कार्ड तैयार किए गए और अन्य लोगों को जमीन का मालिक बताकर सौदा किया गया। इस दौरान डॉ. मुकुल विश्वास से 10 लाख रुपये अग्रिम लेकर विक्रय अनुबंध तैयार कराया गया। जांच में सामने आया कि आरोपितों द्वारा प्रस्तुत आधार कार्डों में नाम वास्तविक भू-स्वामियों के थे, लेकिन उन पर तस्वीरें अन्य लोगों की लगाई गई थीं। इन दस्तावेजों के आधार पर करीब 2.58 एकड़ जमीन का 59 लाख रुपये से अधिक में सौदा किया गया था। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद वास्तविक भू-स्वामी ने जमीन बेचने और अग्रिम राशि लेने से इंकार किया, जिसके बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड पप्पू मीणा, इनामी आरोपित धन सिंह चौधरी और एआई के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड तैयार करने के आरोपित अखिलेश उर्फ छीपा को पहले ही गिरफ्तार किया था।

भतीजे की भूल से रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी को लाखों की चपत

ऐशबाग क्षेत्र में रेलवे के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के बैंक खाते से जुड़ी दो एफडी भुनाकर साइबर ठगों ने 5 लाख 99 हजार रुपये निकाल लिए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीड़ित के भतीजे ने उनके मोबाइल पर एक संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड कर ली थी, जिसके बाद फोन हैक होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अफकार कॉलोनी निवासी 61 वर्षीय शरीफ अहमद कुरैशी का आईसीआईसीआई बैंक की अशोका गार्डन शाखा में खाता है। उनके खाते से एफडी भी जुड़ी हुई थीं। चार सितंबर की दोपहर नेट बैंकिंग के माध्यम से तीन ऑनलाइन लेनदेन कर रकम दूसरे खाते में भेजी गई। रकम निकलने की जानकारी मिलने पर शरीफ अहमद ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल से मिली ई-जीरो एफआईआर के आधार पर ऐशबाग पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला कि पीड़ित के भतीजे ने उनका मोबाइल इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम पर नेटफ्लिक्स का एक विज्ञापन देखा था। इसके बाद उसने संबंधित एप डाउनलोड करने का प्रयास किया। इस दौरान मोबाइल पर एक एपीके फाइल भी आई, जिसे खोलने के लिए क्लिक किया गया। इसके कुछ समय बाद मोबाइल हैक होने और खाते से रकम निकलने की बात सामने आई। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित के मोबाइल पर लेनदेन से संबंधित कोई ओटीपी नहीं आया। पुलिस अब साइबर ठगों और रकम के लेनदेन से जुड़े खातों की जानकारी जुटा रही है।

ठेले पर घायल किसान पहुंचा जनसुनवाई में

हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/सीहोर: सीहोर जिले का एक घायल किसान मंगलवार को हाथ ठेले पर संभागायुक्त कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचा। किसान की मांग है कि हाईटेंशन लाइन हादसे के जिम्मेदार बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए तथा उसे सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

किसान नेता एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में किसानों ने डिप्टी कमिश्नर भारती देवी मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए दल गठित करने की बात कही है। ज्ञापन के अनुसार भरवेली निवासी किसान सतीश 18 जून को खेत में काम करते समय 11 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइन लंबे समय से खतरनाक स्थिति में झूल रही थी और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद इलाज के दौरान किसान का एक हाथ काटना पड़ा, जबकि एक पैर भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। किसान के साथियों ने बताया कि इलाज में 18 लाख रुपये खर्च होने और जमीन बिक जाने के कारण उसे बस से भोपाल लाकर हाथ ठेले पर कार्यालय तक पहुंचाया गया।

शिक्षक का सम्मान ही सफलता की राह है विद्यार्थी समय का सदुपयोग करें: सिद्धभाऊ

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक होते हैं। गुरुओं के प्रति जितना सम्मान होगा, जीवन में सफलता की संभावनाएं उतनी ही बढ़ेंगी। विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करें और पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए आत्मअनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ें। यह बात सिद्ध भाऊजी ने एलवीएस ग्रुप ऑफ स्कूल द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में कही। समारोह में लक्ष्मीदेवी विक्योमल शर्राफ एज्यूकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित गांधीनगर के विद्यालयों के 120 शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। भाऊ ने विद्यार्थियों से कहा कि विद्यार्थी जीवन तपस्या का समय है। कुछ वर्षों की मेहनत और अनुशासन से वे अपने माता-पिता एवं गुरुजनों का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आज विद्यार्थी समय की कदर करेंगे तो समय भी भविष्य में उनकी कदर करेगा। उन्होंने मोबाइल के अनावश्यक उपयोग से बचने, समय-सारिणी बनाने और अच्छी संगति अपनाने की सलाह दी। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक खान-पान पर ध्यान देने का संदेश दिया। जीव सेवा संस्थान के सचिव महेश दयारामानी ने भी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं। संस्था सचिव रमेश हिंगोरानी ने बताया कि जीव सेवा संस्थान की ओर से विद्यालय को दो स्मार्ट बोर्ड देने की घोषणा की गई है।

श्वेतांवर जैन समाज के आठ दिवसीय आत्मशुद्धि के लिए पर्युषण पर्व शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जैन श्वेतांबर समाज के आठ दिवसीय आत्मशुद्धि के पर्युषण पर्व शुरू हो गए हैं। पर्व के दौरान श्रद्धालु पूजा-पाठ, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, प्रवचन, तप और त्याग के माध्यम से आत्मकल्याण की साधना करेंगे। शहर के विभिन्न जैन मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं।

प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया कि अनेक श्रावकों ने साध्वी संघ के सानिध्य में आठ दिनों तक व्रत और उपवास का संकल्प लिया है। मंदिरों में भगवान जिनेंद्र की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया है। आकर्षक विद्युत सज्जा से मंदिरों को सजाया गया है।

सिटी मंदिर में साध्वी रत्नत्रया श्रीजी के सानिध्य में प्रथम दिन भगवान महावीर का अभिषेक और पूजन किया गया। साध्वीजी ने श्रावकों के कर्तव्यों तथा दैनिक जीवन में देव पूजा, गुरु वंदन, स्वाध्याय, संयम और तप के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि पर्युषण पर्व का मूल उद्देश्य तप, त्याग, संयम, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और क्षमाभाव के माध्यम से कषायों से मुक्त होकर आत्मशुद्धि करना है।

तुलसी नगर जिनालय में साध्वी शीतल धर्मा श्रीजी आदि साध्वी संघ के सानिध्य में मूलनायक भगवान आदिनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। यहां कई श्रद्धालुओं ने आठ दिनों के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं के साथ मोबाइल के उपयोग का भी त्याग करने का संकल्प लिया।

साध्वी शीतल धर्मा श्रीजी ने कहा कि पर्युषण पर्व अहिंसा, संयम, त्याग और क्षमा का संदेश देता है।

वंचित बच्चों को पढ़ाने वाले छह शिक्षक समेत 15 का सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रोटरी क्लब ईस्ट भोपाल की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में होटल शीशम में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में औपचारिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के साथ समाज के वंचित वर्ग के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाले छह विशेष शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। सहारा साक्षरता संस्था से जुड़े ये शिक्षक झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले बच्चों को बुनियादी साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में कुल 15 शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दो दशक से अधिक समय तक योगदान दिया है। अतिथि वक्ता डॉ. रितु नंदा ने सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले शिक्षक सम्मान के अधिकारी हैं। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष, सचिव सहित रोटरी क्लब के सदस्य उपस्थित रहे।

79 वर्ष की आयु पूरी होते ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने की उठी मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश के पेंशनरों को 80 वर्ष की आयु में प्रवेश की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के लिए राज्य शासन से तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय ग्वालियर में दायर रिट याचिका का निर्णय पेंशनरों के पक्ष में आया था। इसके विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा दायर एसएलपी (सी) क्रमांक 2414/2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर 2024 को खारिज कर दिया। शासन की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन डायरी क्रमांक 59076/2024 भी 20 मार्च 2025 को खारिज हो गई। एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि न्यायिक विवाद समाप्त होने के बाद उच्च न्यायालय ग्वालियर के रिट याचिका क्रमांक 7424/2022 में पारित निर्णय प्रभावी हो गया है। पात्र पेंशनरों को अलग-अलग न्यायालय जाने के लिए मजबूर करने के बजाय शासन को सभी पर समान रूप से निर्णय लागू करना चाहिए।

साध्वी द्रौपदी धनवानी का अवतरण दिवस मनेगा

हिरदाराम नगर. ब्रह्मलीन साध्वी द्रौपदी धनवानी का 68वां अवतरण दिवस श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। साध्वी जी ने अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य, मानव सेवा तथा गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक देव जी की आराधना में समर्पित किया। साध्वी जी की शिष्या सोनी लालवानी ने बताया कि 7 सितंबर से धन-धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का शुभारंभ हो चुका है। चार दिनों तक 108 संगत द्वारा प्रतिदिन शाम को श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया जाएगा।

'वृद्ध मित्र' ने बुजुर्गों को बांटे 700 से अधिक सहायक उपकरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में 'वृद्ध मित्र' कार्यक्रम की ओर से कोलार क्षेत्र की बस्तियों में जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बुजुर्गों की जरूरत और शारीरिक स्थिति के अनुसार 700 से अधिक उपकरण वितरित किए गए। इनमें व्हीलचेयर, वॉकर, हियरिंग एड, वॉकिंग स्टिक, सर्वाइकल एवं लम्बर बेल्ट तथा नी-ब्रेस शामिल रहे। उपकरणों से बुजुर्गों की दैनिक गतिविधियां आसान होने के साथ उनकी गतिशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों को फिजियोथेरेपी, स्वास्थ्य परामर्श, गृह भ्रमण और सामाजिक सहयोग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर डॉ. राहुल सिंह भदौरिया, डॉ. मुदिता सूर्यवंशी सहित टीम मौजूद रही।

शादी का झांसा देकर विवाहिता से दुष्कर्म का आरोप

भोपाल। छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने सीआईएसएफ के सेवानिवृत्त हवलदार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता मूल रूप से रायसेन जिले की रहने वाली है। करीब पांच वर्ष पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान आरोपित अनिरुद्धपुरी गोस्वामी से हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी का आश्वासन देकर आरोपित उसे बच्चों सहित भोपाल ले आया और करीब डेढ़ वर्ष तक लिव-इन संबंध में रखा। इस दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।

टैगोर नाट्य महोत्सव में प्रेम और बाजार पर व्यंग्य की कहानियों का मंचन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: टैगोर नाट्य महोत्सव के तीसरे दिन मंगलवार को रवीन्द्र भवन में कथाकार संतोष चौबे की चर्चित कहानियों 'उनके हिस्से का प्रेम' और 'लेखक बनाने वाले' का प्रभावशाली मंचन किया गया। प्रख्यात रंग निर्देशक देवेन्द्र राज अंकुर के निर्देशन में दिल्ली के 'संभव' आर्ट ग्रुप ने दोनों कहानियों को मंच पर साकार किया। इस अवसर पर रंगसंवाद पत्रिका का विमोचन भी किया गया। पहली प्रस्तुति 'उनके हिस्से का प्रेम' में एक संस्थान के बॉस के प्रेम संबंधों को अनूठे रंगमंचीय प्रयोग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ऑफिस की मेज, कुर्सी, कलम, शीशा और डायरी जैसी वस्तुएं कहानी में साक्षी और पात्रों की तरह उभरती हैं। इनके माध्यम से बॉस के अधूरे और जटिल प्रेम संबंधों की परतें दर्शकों के सामने खुलती हैं।

दूसरी प्रस्तुति 'लेखक बनाने वाले' में लेखकीय महत्वाकांक्षा और उसके बाजारू दोहन पर तीखा व्यंग्य किया गया। कहानी का मुख्य पात्र बैंक में नौकरी करते हुए लेखक बनने का सपना देखता है। एक विज्ञापन के जरिए वह दिल्ली के लेखक बनाने वाले केंद्र पहुंचता है, जहां उसकी आकांक्षा को पैसे

कमाने का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाता है। कहानी इसी विडंबना को व्यंग्यात्मक ढंग से सामने लाती है।

दोनों प्रस्तुतियों में संतोष चौबे की संवेदना और व्यंग्य को देवेन्द्र राज अंकुर की रंगमंचीय दृष्टि ने प्रभावी बनाया। मंच पर अमिताभ श्रीवास्तव, अमित सक्सेना, प्रकाश झा, गौरी देवल, रचिता वर्मा और सहज हरजाई ने अभिनय किया।

शादी के 11 साल बाद पत्नी को तीन तलाक देने का आरोप

भोपाल। गौतम नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने पति पर शादी के 11 वर्ष बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के साथ उसकी सास के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीजीबीटी क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय शगुफ्ता सिलाई का काम करती है। उसकी शादी करीब 11 वर्ष पहले विवाह सम्मेलन में शोएब से हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और सास दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे।

पीड़िता के अनुसार कुछ दिन पहले पति ने एक बार फिर दहेज की मांग की। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की गई और पति ने तीन तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया।

जाहिर सूचना

ग्राम गोलखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के संबंध में

सर्वसाधरण को सूचित को किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने विक्रेता पक्षकार सुरेश कुमार पुत्र स्व. कालूराम के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य का प्लाट क्रमांक 67 जिसका क्षेत्रफल 25×32= 800 वर्गफिट, खसरा नं. 26/1/2 जो ग्राम गोलखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है। जिसकी चतुर्थसीमा इस प्रकार है। दिशा पूरब में प्रस्तावित रोड, दिशा पश्चिम में प्लाट क्रमांक 62, दिशा उत्तर में प्लाट क्रमांक 68, तथा दिशा दक्षिण में प्लाट क्रमांक 66 है जिसको क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार ने विक्रेता पक्षकार को टोकन बयाना राशि अदा कर दी है। उपरोक्त वर्णित संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालय को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या उक्त संपत्ति/भूमि कहीं अनुबंध विक्रय पत्र, दानपत्र, बंधक, गिरवी, वसीयतनामा, पावर ऑफ अटोर्नी, हस्तांतरण, अंतरण इत्यादि हो तो वह व्यक्ति संस्था बैंक, शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय आदि की जाहिर सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में मय मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा मेरे पक्षकार द्वारा वर्णित संपत्ति का विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करा लेगें ऐसी स्थिति में कोई भी आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी।

मंगेश खड़से, अधिवक्ता
रेसीडेन्ट कार्यालय सी-214/ए. ओल्ड मीनाल रेसीडेंसी, जे. के. रोड, भोपाल
कार्यालय- अभिभाषक कक्ष पुराना सचिवालय तहसील कार्यालय कोहेफिजा
भोपाल मो.नं. 7987946601
1535

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रथम श्रमणा सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल

(पंजी. क्र./डीआर/बीपीएल/153134, दिनांक 18.11.2025)
क्रमांक / रजि. अ./2026/02
भोपाल, दिनांक 08/09/2025

सूचना

सूचित किया जाता है कि. संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन्न विशेष साधारण सम्मिलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था कार्यालय के नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, भोपाल, विकास खण्ड फंदा, भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक मर्यादित, टी.टी. नगर, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 08/09/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 08/09/2026 से दिनांक 15/09/2026 तक मुझे अथवा मेरे द्वारा अधिकृत श्री अनिल कामडे (सहकारी निरीक्षक) को कार्यालयीन समय दोपहर 12.00 बजे से 02.00 बजे तक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय) भोपाल में सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय), भोपाल में दिनांक 16/09/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जावेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(मीरा देवी)
कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रथम श्रमणा सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल
1536

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल

(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)
रा.प्र.क्र. 0014/अ-3/2026-27

इश्तहार

1. कुंजीलाल आ. श्री मुल्ला, 2. हरीप्रसाद आ. स्व. श्री श्यामलाल, 3. सुखिया बाई पत्नी स्व. श्री श्यामलाल, 4. चतुर सिंह आ. स्व. श्री श्यामलाल, 5. जिया बाई पुत्री स्व. श्री श्यामलाल नि. ग्राम पीपलनेर भोपाल म.प्र., 6. पूजा कौशिक पत्नि श्री के.आर. कौशिक नि. भोपाल उपरोक्त लिखित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमरीक सिंह आ. प्रताप सिंह नि. 1276 खुशीपुरा वार्ड नं. 36 चांदबड भोपाल म.प्र. का ग्राम पीपलनेर स्थित भूमि खसरा नंबर 205/1/3 रकबा 0.1010हे. भूमि की बटान हेतु प्रकरण प्रचलित है। उपरोक्त संबंध में विधिक कार्यवाही किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो दिनांक 15.09.2026 तक स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 8/9/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पद मुद्रा से जारी किया

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर बैरागढ़
वृत्त-भोपाल म.प्र.
1537

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल

(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)
रा.प्र.क्र. 0049/अ-3/2026-27

इश्तहार

1.श्रीमती रोशनी बक्शी पत्नी श्री पी.आर. बक्शी नि. ग्राम पीपलनेर भोपाल म.प्र. 2. श्री एम.वी. नायर पुत्र श्री एम. नायर नि. ग्राम पीपलनेर भोपाल म.प्र. 3. गुरमत मिशन द्वारा प्रेसीडेंड डॉ. सरदार सतनाम सिंह पुत्र श्री सरदार गुरुमुख सिंह नि. हाथताल जबलपुर 4. श्रीमती नवीना अरोरा पति गुरचरण सिंह अरोरा नि. फ्लैट नं. बी 308 ओपल हाइट्स नियर शनि मंदिर जाटखेडी होशंगाबाद रोड भोपाल म.प्र. उपरोक्त लिखित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रमनदीप कौर पत्नी श्री सतवंत सिंह एवं मनप्रीत सिंह राणा पुत्र श्री सतवंत सिंह नि. म.नं. 39 वार्ड नं. 01 सरदार मोहल्ला सुल्तानपुर जिला रायसेन स्थाई निवासी 310 बी ब्लॉक भगवान परिसर मिसरोद जिला भोपाल का ग्राम पीपलनेर स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1/6 रकबा 0.1330 हे. भूमि की बटान हेतु प्रकरण प्रचलित है। उपरोक्त संबंध में विधिक कार्यवाही किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो दिनांक 15.09.2026 तक स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 8/9/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पद मुद्रा से जारी किया गया ।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर बैरागढ़
वृत्त-भोपाल म.प्र.
1538

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
आरसीएस ए/1368/2024
श्रीमती सुनीता सोलंकी बनाम बृजकुमार वाघवानी
NEXT DATE :19-11-2026

प्रेषिती, बृज कुमार वाघवानी एस के वाघवानी पता-285 कल्पना नगर रायसेन रोड भोपाल यह कि प्रार्थी श्रीमती सुनीता सोलंकी ने आपके विरुद्ध आरसीएस ए/1368/2024 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 13-08-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें:**-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

कृष्णकांत बागरे, न्यायाधीश
बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)
1539

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई. डी. नं. J80001041 3,आवेदन क्रमांक-13133,आवेदन दिनांक-03/09/2026 क्र. 2356/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल
दिनांक 08/09/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की एयरोसिटी फेस-1 योजना स्थित भूखण्ड क्रमांक 413 सेक्टर-ए, श्री संजय त्यागी आत्मज श्री महेन्द्र कुमार त्यागी के नाम पर आवंटित है। किन्तु इन्होंने अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं कराया है। आवंटी श्री संजय त्यागी का स्वर्गवास दिनांक:15/04/2026 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिस 1-श्रीमती रिता त्यागी पत्नी स्व. श्री संजय त्यागी श्रीमती शाल्वी त्यागी स्व. श्री संजय त्यागी कुमारी राशी त्यागी स्व. श्री संजय त्यागी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड के आधार पर तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखंड अपने नाम पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
1540

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सय्यद मुस्तफा हसन आत्मज सय्यद मोहम्मद हसन निवासी बी-402, तिलक गृह निर्माण समिति, एयरपोर्ट रोड भोपाल (मध्य प्रदेश) यह घोषणा करता हूं कि मेरा पूर्व में नाम हसन सय्यद मुस्तफा था जो कि मेरे पूर्व पासपोर्ट पर लिखा है अब मैंने अपना नाम बदलकर सय्यद मुस्तफा हसन रख लिया है जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नया नाम सय्यद मुस्तफा हसन लिखा है अब मुझे इसी नए नाम सय्यद मुस्तफा हसन से जाना व पहचाना जाए।
1542

नाम परिवर्तन सूचना

मै मीनाक्षी मेश्राम पिता श्री विजय आयु वयस्क निवासी वार्ड न. 06, ग्राम पौसेरा तह. लॉजी जिला बालाघाट म.प्र.। शपथपूर्वक निम्न कथन करती हूँ:- **1.** यह कि मेरी 10 वी की अंकसूची मे मेरा नाम मीनाक्षी (MINAKSHI) एंव मेरे पिता का नाम विजय अंकित है। **2.** यह कि मेरे आधार कार्ड मे मेरा नाम मीनाक्षी मेश्राम (MINAKSHI MESHRAM) एंव मेरे पिता का नाम विजय अंकित है। **3.** यह कि मेरे मतदाता पहचान पत्र मे मेरा नाम मिनाक्षी मेश्राम (MINAKSHI MESHRAM) एंव मेरे पिता का नाम विजय मेश्राम अंकित है। **4.** यह कि उपरोक्त सभी दस्तावेजो मे मेरे उल्लेखित नाम ' मीनाक्षी ' 'मीनाक्षी मेश्